

वायुयान अधिनियम, 1934
(XXII वर्ष 1934)

(19-8-1934 को गवर्नर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई)

वायुयान के निर्माण, कब्जे, आयात और निर्यात के नियंत्रण तथा उससे संबंधित विषयों के लिए बेहतर प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम।

चूंकि वायुयान के निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, विक्रय, आयात और निर्यात के नियंत्रण के लिए बेहतर प्रावधान करना आवश्यक है, इसलिए इसे निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाता है:-

इस अधिनियम को मर्ज्ड स्टेट्स (लॉज़) अधिनियम, 1949 (59 सन् 1949) द्वारा नए प्रांतों तथा मर्ज्ड स्टेट्स तक विस्तारित किया गया है, तथा यूनियन टेरिटरीज़ (लॉज़) अधिनियम, 1950 (वर्ष 1950 का 30) द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश तक विस्तारित किया गया है। विंध्य प्रदेश अब मध्य प्रदेश राज्य का भाग है। मणिपुर और त्रिपुरा अब राज्य हैं।

इस अधिनियम को विभिन्न विनियमों और अधिनियमों द्वारा गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप (पूर्व में लक्षद्वीप, मिनीकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह) तक भी विस्तारित किया गया है। गोवा अब एक राज्य है।

यह अधिनियम फ्रांसीसी स्थापनाओं पर 1-1-1954 से लागू होता है, देखें फ्रांसीसी स्थापनाएँ (कानूनों का अनुप्रयोग) आदेश, 1954।

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार

(1) इस अधिनियम का नाम वायुयान अधिनियम, 1934 होगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है तथा यह निम्नलिखित पर भी लागू होगा-

(क) भारत के नागरिकों पर, चाहे वे कहीं भी हों;

(ख) भारत में पंजीकृत वायुयानों पर, चाहे वे कहीं भी हों;

(ग) भारत में पंजीकृत वायुयानों पर सवार व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हों; भारत के बाहर पंजीकृत वायुयानों पर, जब वे भारत में या उसके ऊपर हों; तथा

(घ) ऐसे वायुयानों पर जो भारत के नागरिक द्वारा संचालित न हों, परंतु जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास भारत में हो।

[व्याख्याएँ तथा वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1960 और वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2007 के अनुसार संशोधन पादटिप्पणियों में उल्लिखित हैं।]

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “वायुयान” से अभिप्राय ऐसी किसी भी मशीन से है जो वायु के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं से वायुमंडल में सहारा प्राप्त कर सकती है, परंतु पृथ्वी की सतह के विरुद्ध वायु की प्रतिक्रियाओं से नहीं, और इसमें गुब्बारे (स्थिर या मुक्त), वायुयान, पतंगें, ग्लाइडर तथा उड़न मशीनें सम्मिलित हैं।

(2) “एयरोड्रोम” से अभिप्राय भूमि या जल का कोई भी निर्धारित क्षेत्र है जिसे पूर्णतः या आंशिक रूप से वायुयानों के उतरने, उड़ान भरने और संचालन के लिए उपयोग करने का आशय हो, और इसमें उस पर या उससे संबंधित सभी भवन, शेड, जलयान, घाट तथा अन्य संरचनाएँ सम्मिलित हैं।

(2क) “एयरोड्रोम संदर्भ बिंदु” से, किसी वायुपट्टी के संबंध में, अभिप्राय उस निर्धारित बिंदु से है जो क्षैतिज तल में उस भाग के ज्यामितीय केंद्र पर या उसके निकट स्थापित किया गया हो जो वायुयानों के उड़ान भरने या उतरने के लिए आरक्षित हो।

(3) “आयात” से अभिप्राय भारत में लाना है; तथा

(4) “निर्यात” से अभिप्राय भारत से बाहर ले जाना है।

3. कुछ वायुयानों को छूट देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति

केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी उपबंध से किसी भी वायुयान या वायुयानों के किसी वर्ग अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को छूट दे सकती है, अथवा यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे उपबंध उन वायुयानों या व्यक्तियों पर ऐसी संशोधनों सहित लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

4. 1944 के अभिसमय के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाने की शक्ति

धारा 14 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकती है जो उसे 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय तथा उससे संबंधित किसी भी अनुसूची (Annex) के, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानक और अनुशंसित व्यवहार शामिल हैं, क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रतीत हों, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

4क. सुरक्षा पर्यवेक्षण कार्य

नागर विमानन महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों में सुरक्षा पर्यवेक्षण के कार्य करेगा।

5. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

(1) धारा 14 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायुयानों के निर्माण, अनुरक्षण, संचालन तथा अन्य संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है ...तथा वायुयानों के किसी भी प्रकार या वर्ग के **कब्जे, उपयोग, संचालन, विक्रय, आयात या निर्यात** तथा उनके संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती प्रावधान के सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं—

(क) वे प्राधिकारी जिनके द्वारा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग किया जाना है;

(ख) परिवहन सेवाओं का विनियमन तथा ऐसी सेवाओं में वायुयानों के उपयोग का निषेध, सिवाय उस प्राधिकरण के जिसके अंतर्गत तथा उस लाइसेंस के अनुसार जो ऐसी सेवा की स्थापना के लिए प्राधिकृत करता है;

(क ख) नागरिक विमानन तथा वायु परिवहन सेवाओं का आर्थिक विनियमन, जिसमें वायु परिवहन सेवा संचालकों के किरायों (tariffs) की स्वीकृति, अस्वीकृति या संशोधन शामिल है; इस संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारक; ऐसे अधिकारियों या प्राधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध केंद्रीय सरकार में अपील; तथा इससे संबंधित अन्य सभी विषय।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए “टैरिफ” में यात्री या माल के परिवहन हेतु किराया, दरें, कर, शुल्क तथा अन्य प्रभार शामिल हैं, और इसमें ऐसे किरायों, दरों, मूल्यांकन प्रभारों तथा अन्य शुल्कों को प्रभावित करने वाले विनियम, प्रथाएँ या सेवाएँ भी सम्मिलित हैं, साथ ही यात्री बिक्री अभिकर्ताओं (passenger sales agents) को देय कमीशन की दरें, शर्तें तथा नियम भी शामिल हैं।

(क/ग) वायु परिवहन सेवा स्थापित करने के लिए प्राधिकृत लाइसेंस के आवेदक या धारक द्वारा उन प्राधिकरणों को दी जाने वाली जानकारी, जिन्हें नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) एयरोड्रोम का लाइसेंसन, निरीक्षण और विनियमन, वे शर्तें जिनके अधीन एयरोड्रोम को लाइसेंस दिया जा सकता है, तथा बिना लाइसेंस वाली वायुपट्टियों के उपयोग का निषेध या प्रतिबंध;

(ख/क) उन एयरोड्रोमों पर लिए जाने वाले शुल्क, जिन पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 लागू नहीं होता या लागू नहीं किया गया है;

(ग) वायुयानों के निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण तथा उन स्थानों का निरीक्षण और नियंत्रण जहाँ वायुयानों का निर्माण, मरम्मत या रख-रखाव किया जा रहा हो;

(घ) वायुयानों का पंजीकरण और चिह्नांकन;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन वायुयान उड़ाए जा सकते हैं या यात्रियों, डाक या माल को ले जा सकते हैं अथवा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, तथा वे प्रमाणपत्र, लाइसेंस या दस्तावेज जो वायुयानों में रखे जाने आवश्यक हैं;

(च) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु वायुयानों का निरीक्षण और ऐसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ;

(छ) वायुयान संचालन, निर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण में कार्यरत व्यक्तियों का लाइसेंसन;

(ज) वायुयान नियंत्रण में संलग्न व्यक्तियों का लाइसेंसन;

(झ) संचार, नेविगेशन एवं निगरानी या वायु यातायात प्रबंधन सुविधाओं का प्रमाणन, निरीक्षण और विनियमन।

(ञ) नागरिक विमानन को अवैध हस्तक्षेप के कृत्यों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपाय;

(ट) वे वायु मार्ग जिनके माध्यम से तथा जिन शर्तों के अधीन वायुयान भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत से बाहर जा सकते हैं या भारत के ऊपर उड़ान भर सकते हैं, तथा वे स्थान जहाँ वायुयान उतरेंगे;

(ठ) किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के ऊपर वायुयान उड़ान पर प्रतिबंध, चाहे वह पूर्णतः हो या निर्दिष्ट समयों पर अथवा निर्दिष्ट शर्तों और अपवादों के अधीन;

(ड) एयरोड्रोम प्रकाश संकेत (aerodrome beacons), वायुपट्टी लाइटें तथा वायुपट्टियों या वायु मार्गों के भीतर या उनके आसपास स्थित प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति, पर्यवेक्षण और नियंत्रण;

(ढ़) वायुपट्टी या वायु मार्गों के निकट निजी संपत्ति पर प्रकाश व्यवस्था की स्थापना और रखरखाव, ऐसी संपत्ति के स्वामियों या कब्जाधारियों द्वारा, तथा ऐसी स्थापना के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान, और ऐसी स्थापना एवं रखरखाव का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, जिसमें ऐसे प्रयोजनों हेतु संपत्ति तक पहुँच का अधिकार भी शामिल है;

(ण) वायुयानों द्वारा या वायुयानों के साथ संचार हेतु प्रयुक्त संकेत तथा संकेत देने के लिए प्रयुक्त उपकरण;

(त) (अतिरिक्त खंड) किसी निर्दिष्ट वस्तु या पदार्थ के वायुयान में ले जाने का निषेध और विनियमन;

(थ) वायुयान की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपनाए जाने वाले उपाय तथा ले जाए जाने वाले उपकरण;

(द) लॉग बुकों का निर्गमन और रखरखाव;

(ध) इस अधिनियम या नियमों के अधीन किसी लाइसेंस या प्रमाणपत्र के निर्गमन, नवीनीकरण, संशोधन, पृष्ठांकन, निरसन, निलंबन या समर्पण की रीति और शर्तें, उनसे संबंधित परीक्षाएँ और परीक्षण, तथा ऐसे लाइसेंस, प्रमाणपत्र या लॉग बुक का प्रारूप, अभिरक्षा, प्रस्तुतिकरण, पृष्ठांकन, निरसन, निलंबन या समर्पण;

(न) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी निरीक्षण, परीक्षा, परीक्षण, प्रमाणपत्र या लाइसेंस के संबंध में वसूले जाने वाले शुल्क;

(प) इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अन्य स्थानों पर जारी लाइसेंसों और प्रमाणपत्रों की मान्यता तथा उनसे संबंधित शर्तें;

(फ) वायुयान के संचालन, निर्माण, मरम्मत या रखरखाव में कार्यरत व्यक्तियों की योग्यता;

(ब) वायुपट्टी संदर्भ बिंदु के निश्चित दूरी के भीतर पशुओं के वध तथा कूड़ा, गंदगी एवं अन्य प्रदूषक या आपत्तिजनक पदार्थों के डालने का निषेध; तथा

(भ) इस उपधारा में उल्लिखित विषयों से सहायक या आनुषंगिक कोई भी विषय।

(म) “भारतीय वायुयान नियम, 1987” हेतु, भारत का राजपत्र, पृ. 8330, मद 719।

(4) वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1972 (12 सन् 1972), धारा 4 (20-4-1972) द्वारा अंतःस्थापित।

(फख) खंड (अअ) और (अब) वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1949 (5 सन् 1949), धारा 2 (7-2-1949) द्वारा अंतःस्थापित।

(फग) खंड (अब) को पुनः अक्षरांकित कर (अस) किया गया तथा इसके पूर्व खंड (अब) वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1 सन् 1983), धारा 2 (26-5-1985) द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

(फघ) अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (43 सन् 1970), धारा 4 (26-7-1972) द्वारा प्रतिस्थापित। तत्पश्चात् खंड (क) में संशोधन किया गया तथा खंड (बक) वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (44 सन् 2007) द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

(फड) वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1994 (35 सन् 1994), धारा 48 (12-9-1994) द्वारा अंतःस्थापित।

(फच) वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (44 सन् 2007) द्वारा अंतःस्थापित।

(फछ) “द प्रॉविन्सेज़” शब्दों के स्थान पर वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1948 (24 सन् 1948), धारा 3 (12-4-1948) द्वारा प्रतिस्थापित।

(फज) वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1989 (27 सन् 1989), धारा 4 (29-8-1989) द्वारा अंतःस्थापित।

(फझ) शब्द “और” हटाया गया तथा खंड (ग) वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1972 (12 सन् 1972), धारा 4 (20-6-1972) द्वारा अंतःस्थापित।

(फज) उपधारा (3) वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 1960 (44 सन् 1960), धारा 3 (26-1-1960) द्वारा निरसित की गई।

15A. निर्देश जारी करने की शक्ति

(1) नागर विमानन महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, समय-समय पर आदेश द्वारा, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप रहते हुए, धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (अअ), (अब), (ख), (ग), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (म) और (स) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में, किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जो किसी एयरोड्रोम का उपयोग कर रहे हों या विमानन संचालन में संलग्न हों, जिसमें एयरोड्रोमों का रखरखाव एवं संचालन, संचार, नेविगेशन, निगरानी और वायु यातायात प्रबंधन सुविधाएँ तथा अवैध हस्तक्षेप से नागरिक विमानन की सुरक्षा शामिल है, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जब उसे यह संतुष्टि हो कि भारत की सुरक्षा के हित में या विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश का पालन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिनके विरुद्ध वह निर्देश जारी किया गया है।

6. आपात स्थिति में आदेश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति

(1) यदि केंद्रीय सरकार की राय में सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आदेश जारी कर सकती है—

(क) इस अधिनियम के अधीन जारी किसी भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र को पूर्णतः या शर्तों के अधीन निरस्त या निलंबित करना;

(ख) वायुयानों की उड़ान को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के ऊपर पूर्णतः या शर्तों सहित निषिद्ध या प्रतिबंधित करना;

(ग) किसी एयरोड्रोम, विमान निर्माण कारखाने, उड़ान विद्यालय या ऐसे अन्य स्थान जहाँ वायुयान बनाए, मरम्मत किए या रखे जाते हैं, के निर्माण, अनुरक्षण या उपयोग को पूर्णतः या शर्तों सहित निषिद्ध या विनियमित करना, तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वायुयान, मशीनरी, संयंत्र, सामग्री या वस्तु को तुरंत या निर्धारित समय के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकरण को निर्दिष्ट रीति से सरकार के सार्वजनिक उपयोग हेतु सौंपने का निर्देश देना।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम में असंगत किसी भी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अधीन किसी आदेश के कारण प्रत्यक्ष रूप से क्षति या हानि उठाने वाले किसी व्यक्ति को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।

(4) केंद्रीय सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(5) जो कोई व्यक्ति जानबूझकर उपधारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश की अवहेलना करता है या उसका पालन करने में असफल रहता है या उसका उल्लंघन करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा; और न्यायालय अपराध में प्रयुक्त वायुयान या उसके किसी भाग को सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश भी दे सकता है।

7. दुर्घटनाओं की जांच के लिए नियम बनाने की शक्ति

(1) धारा 14 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकती है जो किसी दुर्घटना या घटना की जांच के लिए उपबंध करें, जो वायुयान के संचालन के दौरान या उससे उत्पन्न हो—

(क) भारत में या उसके ऊपर; या

(ख) जहाँ भी भारत में पंजीकृत कोई वायुयान स्थित हो।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम—

(क) किसी दुर्घटना या घटना की सूचना देने की रीति तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हें सूचना देनी होगी, निर्धारित कर सकते हैं;

(ख) किसी भी समय प्रवृत्त किसी विधि के दुर्घटना या घटना जांच संबंधी उपबंधों को, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, लागू कर सकते हैं;

(ग) जांच लंबित रहने तक दुर्घटना या घटना में शामिल वायुयान तक पहुँच या उसमें हस्तक्षेप को निषिद्ध कर सकते हैं तथा किसी व्यक्ति को ऐसे वायुयान तक पहुँचने,

उसका निरीक्षण करने, हटाने, संरक्षण करने या अन्य प्रकार से कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं;

(घ) यदि जांच के दौरान यह प्रतीत हो कि आवश्यक है, तो किसी लाइसेंस या प्रमाणपत्र को निरस्त, निलंबित, पृष्ठांकित या समर्पित करने के लिए अधिकृत या आवश्यक कर सकते हैं तथा उसके लिए ऐसे लाइसेंस या प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने का उपबंध कर सकते हैं।

8. वायुयान को निरुद्ध करने की शक्ति

(1) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकारी, किसी वायुयान को निरुद्ध कर सकता है यदि उसकी राय में—

(क) प्रस्तावित उड़ान की प्रकृति को देखते हुए उस वायुयान की उड़ान से उसमें बैठे व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों या संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है; या

(ख) ऐसा निरोध इस अधिनियम या उस वायुयान पर लागू नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, अथवा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) या (ख) के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए, या किसी न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक हो।

(2) धारा 14 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस शक्ति के प्रयोग से संबंधित सभी आनुषंगिक या सहायक विषयों के लिए नियम बना सकती है।

8क. सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु आपात शक्तियाँ

(1) यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि भारत या उसका कोई भाग किसी खतरनाक महामारी रोग के प्रकोप से ग्रस्त है या ऐसे प्रकोप की आशंका है, तथा विधि के वर्तमान प्रावधान वायुयान द्वारा उस रोग के प्रवेश या प्रसार से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे की रोकथाम के लिए अपर्याप्त हैं, तो वह ऐसे उपाय कर सकती है जिन्हें वह उस खतरे को रोकने के लिए आवश्यक समझे।

8ख. सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु आपातकालीन शक्तियाँ

(1) यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट होती है कि भारत या इसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है और वायुयान की एजेंसी के द्वारा बीमारी के फैलने के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को रोकने के लिए उस समय के लिए प्रवृत्त कानून के प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं तो केंद्रीय सरकार ऐसे खतरे को रोकने के लिए आशयक उपाय कर सकती है।

(2) ऐसे किसी भी मामले में, धारा 8क की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वायुयानों, उनमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों, उनमें ले जाए जाने वाली वस्तुओं तथा वायुपट्टी सुविधाओं के संबंध में ऐसी अस्थायी नियमावली बना सकती है जिन्हें वह परिस्थितियों में आवश्यक समझे।

(3) धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्ति पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन नहीं होगी; तथापि ऐसे नियम अधिसूचना की तिथि से तीन माह से अधिक प्रभावी नहीं रहेंगे:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार विशेष आदेश द्वारा उन्हें प्रत्येक बार तीन माह से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है।

8ग. परित्यक्त संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा और वापसी हेतु नियम बनाने की शक्ति

(1) धारा 14 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकती है जो किसी एयरोड्रोम या वायुयान में पाई गई किसी संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उसके पुनः सुपुर्दगी (re-delivery) को सुनिश्चित करें, जहाँ ऐसी संपत्ति उचित अभिरक्षा में न हो।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम—

(क) ऐसी किसी संपत्ति के पुनः सुपुर्द किए जाने से पूर्व उससे संबंधित शुल्कों के भुगतान का उपबंध कर सकते हैं; तथा

(ख) ऐसी स्थिति में जब निर्धारित अवधि के भीतर वह संपत्ति संबंधित हकदार व्यक्ति को पुनः सुपुर्द नहीं की जाती है, उसके निपटान का उपबंध कर सकते हैं।

9. जहाज-ध्वंस एवं बचाव (Wreck and salvage)

(1) समुद्री या अंतर्देशीय जल में या उसके ऊपर स्थित वायुयानों के संबंध में, व्यापारी नौवहन अधिनियम, 1958 के भाग XIII के जहाज-ध्वंस एवं बचाव संबंधी उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे जहाजों पर लागू होते हैं, तथा वायुयान का स्वामी उसी प्रकार बचाव सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा जैसे किसी जहाज का स्वामी होता है।

(2) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त उपबंधों को वायुयानों पर लागू करने हेतु ऐसे संशोधन कर सकती है जो आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों।

9क. भवन निर्माण, वृक्षारोपण आदि के निषेध या विनियमन की केंद्रीय सरकार की शक्ति

(1) यदि केंद्रीय सरकार की राय में वायुयान संचालन की सुरक्षा हेतु ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त हो, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(i) यह निर्देश दे सकती है कि किसी भी एयरोड्रोम संदर्भ बिंदु से अधिकतम बीस किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर किसी भूमि पर कोई भवन या संरचना निर्मित या स्थापित नहीं की जाएगी, या कोई वृक्ष नहीं लगाया जाएगा, तथा किसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे किसी भी विद्यमान भवन, संरचना या वृक्ष को हटाने/ध्वस्त करने का निर्देश दे सकती है;

(ii) यह निर्देश दे सकती है कि किसी निर्धारित ऊँचाई से अधिक ऊँचा भवन या संरचना नहीं बनाई जाएगी, या ऐसे वृक्ष नहीं लगाए जाएंगे जो उस ऊँचाई से अधिक बढ़ते हों, तथा ऐसे ऊँचाई से अधिक विद्यमान भवनों, संरचनाओं या वृक्षों की ऊँचाई निर्धारित अवधि में कम करने का निर्देश दे सकती है।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अंतर्गत त्रिज्या एवं ऊँचाई निर्धारित करते समय केंद्रीय सरकार निम्न बातों पर विचार करेगी—

(क) एयरोड्रोम पर संचालित या संचालित किए जाने वाले वायुयानों की प्रकृति; तथा

(ख) वायुयान संचालन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक एवं अनुशंसित व्यवहार।

(3) उपधारा (1) के अधीन यदि किसी अधिसूचना द्वारा ध्वस्तीकरण या ऊँचाई में कमी आवश्यक हो, तो उसकी प्रति संबंधित संपत्ति के स्वामी या नियंत्रणकर्ता को तामील की जाएगी। तामील इस प्रकार की जा सकती है—

(i) व्यक्तिगत रूप से देना या प्रस्तुत करना; या

(ii) यदि इसे वितरित या सुपुर्द नहीं किया जा सके तो, अधिकृत अधिकर्ता या वयस्क परिवार सदस्य को देना; या परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाना; या

(iii) आवश्यक होने पर डाक द्वारा भेजना।

(4) प्रत्येक व्यक्ति ऐसे किसी निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो उपधारा

(1) के अधीन जारी अधिसूचना में दिया गया हो।

9ख. प्रतिकर का भुगतान

(1) जहाँ धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हानि या क्षति होती है, उसे ऐसा प्रतिकर दिया जाएगा, जिसका निर्धारण ऐसी रीति और ऐसे सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा जो निर्धारित किए जाएँ।

(2) प्रतिकर का निर्धारण—

(क) यथासंभव आपसी सहमति से; या
(ख) सहमति न होने पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति हो।

(3) केंद्रीय सरकार एक विशेषज्ञ मूल्यांकक नामित कर सकती है तथा प्रभावित व्यक्ति भी एक मूल्यांकक नामित कर सकता है।

(4) कार्यवाही प्रारंभ होने पर सरकार और दावेदार अपने-अपने उचित प्रतिकर संबंधी मत प्रस्तुत करेंगे।

(5) मध्यस्थ प्रतिकर का निर्धारण निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए करेगा—

- (क) हुई क्षति;
- (ख) भूमि के बाजार मूल्य में कमी;
- (ग) भवनों या वृक्षों का ध्वस्तीकरण या ऊँचाई में कमी;
- (घ) स्थानांतरण पर हुए व्यय; तथा
- (ङ) अन्य प्रासंगिक परिस्थितियाँ।

(6) यदि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार हों, तो मध्यस्थ उनके बीच उचित रूप से उसका विभाजन करेगा।

(7) मध्यस्थता अधिनियम, 1940 इस धारा के अंतर्गत कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा।

(8) पुरस्कार (award) में व्यय शामिल होंगे तथा यह भी निर्दिष्ट किया जाएगा कि उन्हें कौन वहन करेगा।

9ग. धारा 9ख के अधीन पारित पुरस्कार की तिथि से तीस दिनों के भीतर उस क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में, जहाँ विमानक्षेत्र स्थित है, अपील प्रस्तुत की जा सकेगी:

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि अपील नियत समय के भीतर दाखिल न करने का पर्याप्त कारण था, तो वह उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

{ (a) विमान नियम (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 12) द्वारा सम्मिलित, धारा 10, 20-4-1972 }

धारा 9घ. मध्यस्थ के पास सिविल न्यायालय के कुछ अधिकार होंगे — धारा 9B के अधीन नियुक्त मध्यस्थ, इस अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियाँ रखेगा, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समन जारी करना तथा उसकी उपस्थिति प्रवर्तित करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज़ के प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना;

(ग) साक्ष्य को शपथ पर ग्रहण करना;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख को किसी न्यायालय या कार्यालय से मंगाना;

(ङ) साक्षियों की जाँच हेतु कमीशन जारी करना;

{अन्यथा विमान (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 12), धारा 10, 20-4-1972 द्वारा}

धारा 10. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन हेतु दण्ड—

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, जो विमान में शस्त्र, विस्फोटक या अन्य खतरनाक वस्तुओं के ले जाने को निषिद्ध या विनियमित करता है, अथवा ऐसे नियमों के अधीन अपेक्षित सूचना देने पर ऐसी सूचना देता है जो मिथ्या है और जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता, और यदि वह स्वामी नहीं है, तो स्वामी भी (जब तक स्वामी यह सिद्ध न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी, सहमति या मिलीभगत के बिना किया गया था) दण्डनीय होगा—

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक हो सकता है।

(1क) यदि कोई व्यक्ति धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, जो पशुओं के वध एवं फेंकने तथा मल, कचरा एवं अन्य प्रदूषित/हानिकारक पदार्थों को विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दस किलोमीटर के भीतर डालने को निषिद्ध करता है, तो वह दण्डनीय होगा—

कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

(1ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1A) में निर्दिष्ट अपराध संज्ञेय होगा।

(2) धारा 5 के अधीन बनाए गए अन्य किसी नियम या धारा 4, धारा 7, धारा 8, धारा 8A या धारा 8B के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन पर, केन्द्रीय सरकार यह निर्देश दे सकती है कि उसका उल्लंघन दण्डनीय होगा—

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।

—{विमान (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 44) द्वारा मूल धारा प्रतिस्थापित}

(ख) विमान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 44) द्वारा सम्मिलित।

(ई) विमान (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 50) द्वारा सम्मिलित।

(i) “एक वर्ष से अधिक” तथा “एक हजार रुपये तक के जुर्माने” के स्थान पर प्रतिस्थापित, विमान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 44) द्वारा।

(ई) “तीन माह” अथवा “एक हजार रुपये तक के जुर्माने” के स्थान पर प्रतिस्थापित, विमान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 44) द्वारा।

धारा 11. खतरा उत्पन्न करने वाले कृत्य के लिए दण्ड –

जो कोई जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति, भूमि या जल अथवा वायु परिवहन में खतरा उत्पन्न हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(क) “छह माह” या “एक हजार रुपये तक के जुर्माने” के स्थान पर प्रतिस्थापित, विमान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 44) द्वारा।

धारा 11क. धारा 5क के अधीन दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर दण्ड –

यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 5क के अधीन दिए गए किसी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(क) विमान (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 12), धारा 10 द्वारा सम्मिलित।

(ख) “छह माह” के स्थान पर प्रतिस्थापित, विमान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 44) द्वारा।

(ग) “एक हजार रुपये” के स्थान पर प्रतिस्थापित, विमान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का 81) द्वारा।

धारा 11ख. धारा 9A के अधीन दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर दण्ड –

(1) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 9A के अधीन जारी किसी अधिसूचना में निहित किसी निर्देश का अनुपालन नहीं करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति किसी भवन या संरचना को ध्वस्त करने में विफल रहता है या किसी वृक्ष को काटने अथवा भवन/संरचना/वृक्ष की ऊँचाई कम करने में विफल रहता है, जैसा कि धारा 9A की

अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष को ध्वस्त कर सकता है या उसकी ऊँचाई कम कर सकता है।

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति धारा 14 के प्रावधानों के अधीन होगी।

- (क) विमान (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 12) द्वारा सम्मिलित।
- (ख) "छह माह या एक हजार रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित, विमान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 44) द्वारा।
- (ग) विमान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 44) द्वारा सम्मिलित।

धारा 12. अपराधों के दुष्प्रेरण एवं प्रयास हेतु दण्ड – जो कोई इस अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, अथवा ऐसे अपराध को करने का प्रयास करता है और उस प्रयास में अपराध की दिशा में कोई कार्य करता है, वह उसी अपराध के लिए निर्धारित दण्ड के अधीन होगा।

धारा 13. जब्ती आदेश करने की न्यायालय की शक्ति – जिस व्यक्ति को उप-धारा (1) की धारा 10 के अधीन या धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (c) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है, वह न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है यह निर्देश दे सकता है कि वह विमान या कोई वस्तु या पदार्थ जिसके संबंध में अपराध किया गया है, सरकार के पक्ष में समपहरण (forfeiture) किया जाएगा।

- (क) मूल शब्दों के स्थान पर विमान (संशोधन) अधिनियम, 1980 (44 of 1980), धारा 5, 26-11-1960 द्वारा प्रतिस्थापित।
- (ख) "His Majesty" शब्दों के स्थान पर A.O. 1959 द्वारा प्रतिस्थापित।

14. प्रकाशन के बाद नियम बनाए जाएंगे

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी नियम बनाने की शक्ति पर पूर्व प्रकाशन की शर्त लागू होगी।

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार, जनहित में, किसी भी मामले में लिखित आदेश द्वारा पूर्व प्रकाशन की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है।

- (क) विमान (संशोधन) अधिनियम, 1985 (59 of 1985), धारा 26, 16-10-1985 द्वारा जोड़ा गया।
-

14क. नियमों का संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना

इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को, उसके बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय रखा जाएगा जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में हो सकती है, और यदि उक्त सत्र या क्रमिक सत्रों के समाप्त होने से पूर्व दोनों सदन यह सहमत हों कि नियम में संशोधन किया जाना चाहिए या उसे नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उस नियम का प्रभाव केवल संशोधित रूप में रहेगा या उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, जैसी स्थिति हो।

परंतु ऐसा कोई भी संशोधन पहले से किए गए कार्यों की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(क) भारतीय विमान (संशोधन) अधिनियम, 1960 (44 of 1960), 26-11-1960 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) शब्दों "तीस दिनों की अवधि के लिए...." के स्थान पर विमान (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा प्रतिस्थापित।

15. भारत में पंजीकृत न होने वाले विमान पर पेटेंट आविष्कार का उपयोग

भारतीय पेटेंट्स एवं डिज़ाइन्स अधिनियम, 1911 की धारा 42 के प्रावधान किसी भी ऐसे आविष्कार के उपयोग पर लागू होंगे जो किसी ऐसे विमान पर किया गया हो जो भारत में पंजीकृत नहीं है, उसी प्रकार जैसे वे किसी विदेशी जलयान पर आविष्कार के उपयोग पर लागू होते हैं।

(क) "the Provinces" शब्द के स्थान पर विमान (संशोधन) अधिनियम, 1948 द्वारा प्रतिस्थापित।

16. सीमा शुल्क प्रक्रिया लागू करने की शक्ति

(सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (52 of 1962), धारा 160 और अनुसूची II, 1969 द्वारा निरसित)

17. कुछ वादों पर रोक

किसी भी सिविल न्यायालय में ऐसा कोई वाद नहीं लाया जाएगा जो केवल इस कारण हो कि किसी संपत्ति के ऊपर विमान का उड़ान से गुजरना, भूमि से उचित ऊँचाई पर, या वायु, मौसम तथा मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, युक्तिसंगत है, अथवा ऐसी उड़ान की सामान्य घटना के कारण हो।

18. सद्भावना में किए गए कार्यों के लिए संरक्षण

इस अधिनियम के अधीन सद्भावना में या किए जाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

19. अधिनियम के लागू होने का संरक्षण

(1) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी आदेश या नियम में से, धारा 8क या धारा 8ख के अंतर्गत बनाए गए नियमों को छोड़कर, कुछ भी उन विमानों पर लागू नहीं होगा जो संघ के नौसेना, सेना या वायु सेना के स्वामित्व में हैं या उनके द्वारा विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं, या उन बलों के किसी व्यक्ति पर जो ऐसे विमान के संबंध में कार्यरत है।

(2) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी आदेश या नियम में से कुछ भी उन लाइटहाउसों पर लागू नहीं होगा जिन पर भारतीय लाइटहाउस अधिनियम, 1927 लागू होता है, या उस अधिनियम के अंतर्गत किसी शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

(क) विमान (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा जोड़ा गया।

(ख) "His Majesty's" के स्थान पर A.L.O. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

20. निरसन

विमान अधिनियम, 1938 (1 of 1938), धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।